कैम्प कोर्ट का स्थान :– बीदासर

पीठासीन अधिकारी :– संजू पारीक **आर. ए. एस.**

न. मु. 10/2017

1 भागीरथ पुत्र मोहनराम उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 श्रीमती धन्नी देवी पत्नी मोहनराम जाति भाट निवासी दूंकर तह. बीदासर चूरू
2 श्रीमती हुलासी देवी पत्नी दुर्गाराम जाति भाट निवासी दूंकर तह. बीदासर चूरू
3 बाबुलाल पुत्र रेखाराम जाति भाट निवासी दूंकर तह. बीदासर चूरू हाल निवासी गायत्री मोशन, एल–52, संगम बिल्डिग, अरिहन्त आवास, रिंग रोड़, सुरत (गुजरात)
4 धनराज पुत्र रेखाराम जाति भाट निवासी दूंकर तह. बीदासर चूरू हाल निवासी गायत्री मोशन, एल–52, संगम बिल्डिग, अरिहन्त आवास, रिंग रोड़, सुरत (गुजरात)
5 श्रीमती मनोहरी देवी पत्नी सरदाराराम जाति भाट निवासीनी दूंकर हाल निवासीनी गली न. 14, डिफेंस कॉलोनी, वार्ड न. 17, कैथल (हरियाणा)
6 बबुलाल पुत्र सरदाराराम जाति भाट निवासीनी दूंकर हाल निवासीनी गली न. 14, डिफेंस कॉलोनी, वार्ड न. 17, कैथल (हरियाणा)
7 श्रीमती संतोष पुत्री स्व. सरदाराराम पत्नी रामुराम जाति भाट निवासीनी कैथल हरियाणा हाल निवासीनी वार्ड न. 4, धोलिया कुआं के पास, सरदारशहर चूरू
8 श्रीमती रेखा देवी पत्नी लिछमणराम पुत्री सरदाराराम जाति भाट निवासीनी गली न. 14, डिफेंस कॉलोनी, वार्ड न. 17, कैथल (हरियाणा)
9 भारती उम्र 12 वर्ष, ←
10 मुस्कान उम्र 10 वर्ष
11 ललीता उम्र 8 वर्ष
12 मनीषा उम्र 6 वर्ष ←
पुत्र पुत्रीयॉ लिछमणराम पुत्र सरदाराराम जाति भाट निवासी दूंकर हाल गली न. 14, डिफेंस कॉलोनी, वार्ड न. 17, कैथल हरियाणा
13 श्रीमती सोना देवी पत्नी मेघाराम जाति भाट निवासीनी गली न. 2, मायापुरी कॉलोनी, वार्ड न. 12, कैथल हरियाणा
14 रमेश ←
15 छोटू
16 कमल ←
पुत्रगण मेघाराम जाति भाट निवासीगण गली न. 2, मायापुरी कॉलोनी, वार्ड न. 12, कैथल हरियाणा
17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर चूरू

दावा बाबत कृषि भूमि का विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1 श्री रघुवीर भांमू एडवोकेट — वादी
2 पेरोकार राज. — प्रतिवादी स. 17

लगातार ....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
रिक					
मीजान			मीजान		

खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी वा प्रतिवादीगण स. 1 ता 16 के सयुंक्त खातेदारी रोही ग्राम दूंकर के खेत खसरा नम्बर 987/636 रकबा 9 बीघा 19 बिश्वा है जिसमें वादी का 20 हिस्सा वा प्रतिवादीगण सख्या 3 वा 4 का सयुक्त 17 हिस्सा व प्रतिवादीगण सख्या 5 ता 16 का सयुक्त 88 हिस्सा नियत है। रेकार्ड में अंकित खातेदार सरदाराराम व मेघाराम की मृत्यू हो चुकी है जिनके जायज वारिसान पक्षकार प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित कर रखे है वा प्रतिवादीगण का खान पान लेन देन रहन सहन सब अलग अलग है। वादगत खेत की सयुक्त खातेदारी काफी वर्षो पूर्व मौखिक विभाजन किया। मौखिक विभाजन के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी और की 20 हिस्सा भूमि वादी के हिस्सा पांती में आया जो वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चला आ रहा है तथा बीच में पुख्ता सींव कायम है। राजस्व रेकार्ड के सयुक्त रूप से खातेदारी होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने एवं राजस्व लगान चुकान में भारी परेशानीया होती है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वादगत खेत की सयुक्त खातेदारी भूमि का मौखिक विभाजन के मुताबिक विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के के आधार पर विभाजन कर अपना 20 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवा कर लगान का विभाजन कराये। बाकी प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 16 से दिनांक 11–2–2017 को मौखिक विभाजन के मुताबिक विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खातेदारी अंकित कराये, परन्तु प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 16 ने साफ इन्कार कर दिया। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि न्यायालय से वादगत खेत का विभाजन कराये। वादी सयुक्त खातेदार कृषक है इसलिए वादी को वादाधार प्राप्त है वा प्रतिवादीगण द्वारा साफ मना करने से इन्कार होने से वाद हैतुक प्राप्त है। वादगत भूमि ग्राम दूंकर की रोही तहसील बीदासर जिला चूरू में होने से इस न्यायालय को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार है। वादी का अपना 20 हिस्सा की अलग खातेदारी दर्ज की जाकर वाद व्यय दिलावाया जाये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विधिवत तामील पंजीकृत डाक से होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 16 की दिनांक 27–4–2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सख्या 17 की और से पैरोकार राज ने प्रकरण में अपने जवाब में राज हित निहित नही होना अंकित किया।

वादी की और से अपनी साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू–1 वादी स्वयं भागीरथ के बयान किराये व दस्तावेज प्रदर्श–1 ता 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये।

बहस उभय पक्षकारान् विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने अपने वादपत्र के साथ अपना शपथ पत्र पेश कर वादपत्र के तथ्यों की ताईद की। अन्य प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 16 बावजूद तामील के हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये। इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किया है। वर्तमान रेकार्डेड खातेदार सरदाराराम व मेघाराम की मृत्यू होना वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया वा इन दोनो के जायज वारिसों को भी वाद पत्र में पक्षकार संयोजित किये है जो बावजूद तामील के हाजिर नहीं आये। प्रतिवादीगण सख्या 17 की और से पेरोकार राज ने प्रकरण में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार से प्रकरण हाजा में किसी भी प्रकार से कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं हुआ है। वादी की गवाह पी. डब्ल्यू–1 जो कि वादी है ने अपने मौखिक बयानो में भी वादगत के तथ्यों की ताईद की है तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श– 1 ता 2 से भी इनके तथ्यों की पुष्टि होती है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 ता 2 नकल जमाबन्दी ग्राम दूंकर सम्वत् 2069–2073 के अनुसार खसरा नम्बर 987/636 पर सभी पक्षकार बतौर खातेदार सयुक्त दर्ज रिकोर्ड है। वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 16 का खान पान लेन देन रहन सहन आदि अलग अलग है वा वादी को सरकारी लाभांश व राजस्व लगान चुकान में भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है जिसे नहीं मानने का कोई आधार नहीं है अतः वादी के पाद पत्र. की पुष्टि होती है। वादी वादगत खेत में अपना 20 हिस्सा की खातेदारी अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में पृथक खातेदारी अंकित की जाकर लगान का विभाजन करवाने का अधिकारी है। अन्य पक्षकार कोई उपस्थित नहीं इसलिए पक्षकार अपना अपना खर्चा मुकदमा वहन करे। अतः वाद वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादी का वाद इस कदर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 987/636 रकबा 9 बीघा 19 बिश्वा वाके रोही दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में वादी का अपना 20 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व राजस्व रेकार्ड के नक्शा में तरमीम किया जावे। वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। प्रारम्भिक डिक्री की पालना व विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–7–2017 को मैगा कैम्प कोर्ट बीदासर में सरे इजलास सुनाया गया।

सत्तू पारीक
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर चूरू

मीजान			मुतफरिक मीजान		

कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।